

राजस्थान सरकार
वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग

क्रमांक: एफ.5(थ-75)कोष/IFMS 3.0/IMS/ 2205

दिनांक 07/07/25

विभागाध्यक्ष
(संलग्न सूची अनुसार)।

विषय:- Inventory Management System (IMS) के प्रशिक्षण बाबत।

संदर्भ:- वित्त (वित्तीय नियम) विभाग का परिपत्र दिनांक 21.05.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत वित्त (वित्तीय नियम) विभाग के संदर्भित परिपत्र द्वारा Inventory Management System (IMS) सभी विभागों के लिए दिनांक 15.06.2025 से अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। IMS के प्रशिक्षण हेतु दिनांक 24.07.2025 को COERRA भवन, अरण्य भवन के सामने, झालाना, जयपुर में प्रातः 10.00 बजे से 1.30 बजे तक विभागीय मास्टर ट्रेनर्स के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया है।

उक्त प्रशिक्षण में आपके विभाग के 5-6 कार्मिकों को उपस्थित होने हेतु निर्देशित किए जाने का अनुरोध है। उक्त प्रशिक्षित कार्मिकों द्वारा विभाग के अधीन अन्य कार्यालयों/कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ताकि IMS को सफलतापूर्वक लागू किया जा सके।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: एफ.5(थ-75)कोष/IFMS 3.0/IMS/2206-09

दिनांक 07/07/25

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कार्यकारी निदेशक, पब्लिक फाईनेन्शियल मैनेजमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (ई.ए.डी.) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार संबंधित विभाग को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग में स्टोर संबंधी कार्य करने वाले संबंधित कार्मिकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षण में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
4. संयुक्त निदेशक वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को साईट पर अलपोड करवाने हेतु।

अतिरिक्त निदेशक एवं पदेन
परियोजना निदेशक (IFMS)

ए-ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर

Website - dfa.rajasthan.gov.in

e-mail Id- Jdb-ta-rj@nic.in

Fax - 2742309, Tel- 0141-2743752

दिनांक 24.07.2025 को IMS का प्रशिक्षण निम्न विभागों के कार्मिकों हेतु आयोजित किया गया है :-

क्र.सं.	विभाग का नाम
1.	पुलिस विभाग
2.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
3.	सार्वजनिक निर्माण विभाग
4.	जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग
5.	वन विभाग
6.	कॉलेज शिक्षा विभाग
7.	माध्यमिक शिक्षा विभाग
8.	जेल विभाग
9.	कार्मिक विभाग
10.	यातायात विभाग
11.	चिकित्सा शिक्षा विभाग
12.	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग / RISL
13.	उद्योग विभाग
14.	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
15.	कृषि विभाग

ए-ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर

Website - dta.rajasthan.gov.in

e-mail Id- Jdb-ta-rj@nic.in

Fax - 2742309, Tel- 0141-2743752